Printed Pages: 7 Roll No......

L/Sem II/90

LL.B. (Hons.) (Semester II) Examination, 2014-15

Law

Paper: LBH-121
Constitutional Law-II

Time: Three Hours Full Marks: 70

(Write your Roll No. at the top immediately on the receipt of this question paper)

Note: Answer any **five** questions. **All** questions carry equal marks.

किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। **सभी** प्रश्नों के अंक समान है।

1. Specify with reasons, whether the following authorities institutions can be considered as 'the state' for the purpose of Enforcement of 'Fundamental Rights'. 2×7=14 क्या मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी/संस्थाओं को 'राज्य' माना जा सकता है ? कारण सहित उत्तर दीजिए।

P.T.O.

L/Sem II/90

(i) Council of Scientific and Industrial research.

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

(ii) Board of Control for cricket in India. भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड

(iii)Institute of Constitutional and parliamentary Studies (ICPS). इन्स्टीट्यूट ऑफ कान्सटीट्यूशनल एण्ड पालियामेण्टरी स्टडीज (आई.सी.पी.एस.)

(iv) Hindustan Steel Limited. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

(v) Air India. एयर इण्डिया

(vi) The Supreme Court of India.

भारत का उच्चतम न्यायालय

(vii)Oil and Natural Gas commission.

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

2. Under Article 16(4) of the Constitution, the state has power to reserve posts for backward classes of people in civil services. In the light of latest case law, answer the following.

5+5+4=14

(ii) Special Leave Petition विशेष अनुमति याचिका।

(iii) Doctrine of Eclipse आच्छादन का सिद्धान्त

(iv) Writ of Mandamus परमादेश का लेख

7

- 6. Examine in detail the provisions of the Constitution of India regarding appointment of the Judges of the Supreme Court of India in the light of 99th Amendment of the Constitution of India. Refer to decided cases.

 14
 भारत के संविधान के 99 वें संशोधन के आलोक में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भारत के संविधान के उपबन्धों का विस्तृत परीक्षण कीजिए। निर्णीत वादों का उल्लेख कीजिए।
- 7. Discuss with the help of decided cases, the power of the Parliament to amend the Constitution. Whether this power is unlimited? Discuss.

 14

 निर्णीत वादों की सहायता से संविधान के संशोधनों के लिये संसद की शक्ति की विवेचन कीजिए । क्या यह शक्ति असीमित है ? विवेचना कीजिये।
- 8. Write short notes on any **two** of the following: 7+7=14 निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:
 - (i) Importance of Fundamental Duties. मूल कर्त्तव्यों का महत्व।

संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत राज्य को यह शिक्त प्राप्त है कि वह पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये सरकारी सेवाओं में पदों का आरक्षण कर सके। अद्यतन निर्णायज विधि के आधार पर निम्नलिखित का उत्तर दें।

- (i) Can Caste be equated with class? क्या जाति को वर्ग से समीकृत किया जा सकता है?
- (ii) Can reservation be made at promotion stage? क्या प्रोन्नित स्तर पर आरक्षण किया जा सकता है ?
- (iii)Can reservation quota exceed 50% of the seats for which recruitment is to be made in a particular year?

किसी वर्ष विशेष में जो नियुक्तियाँ होती है, उसके . 50% से अधिक पदों का क्या आरक्षण किया जा सकता है ?

3. Discuss the concept of secularism and examine the provisions of the Constitution of India, which make India, a seculer State. Refer to decided cases.

14

पंथ-निरपेक्षता की अवधारणा की विवेचना कीजिए एवं भारतीय संविधान के उन उपबन्धों का परीक्षण कीजिए जो भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाते है । निर्णात वादों का उल्लेख कीजिए।

4. "The Supreme Court, since **Menaka Gandhi's** case has revolutionized the law relating to 'Life and Personal Loberty' under Article 21 of the Constitution of India and gave it a residuary human rights clause status". With the help of decided cases, discuss the scope of the following rights under Article 21 of the Constitution.

'उच्चतम न्यायालय ने मेनका गाँधी के वाद से संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन 'जीवन एवं दैहिक-स्वतंत्रता से सम्बन्धित विधि में क्रान्ति ला दी है एवं इसको अविशष्ट मानव अधिकार प्रावधान का दर्जा दिया है।" निर्णीत वादों की सहायता से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारों की विवेचना कीजिए।

- (i) Right to bail. जमानत का अधिकार।
- (ii) Right to legal aid. विधिक सहायता पाने का अधिकार
- (iii)Right to get compensation प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार

(iv) Right to marry.
विवाह करने का अधिकार

- (v) Right to sleep सोने का अधिकार
- (vi) Right to die मरने का अधिकार
- (vii)Right to food भोजन का अधिकार
- **5.** Discuss the nature and importance of Directive Principles of State Policy. Do you agree with the view that there should be harmony and balance between the Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy? Discuss.

14

राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति एवम् महत्व की विवेचना कीजिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि मूल अधिकारों एवम् राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सामंजस्य और संतुलन होना चाहिए ? विवेचना कीजिए। 5